BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI

IN

OA NO 407/2025

IN THE MATTER OF:

MAHENDRA SINGH …APPLICANT

VERUS

STATE OF HARYANA & ORS. ..RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	**PARTICULARS**	**PAGES**
1.	Rejoinder on behalf of the applicant to the objections filed by respondent no. 5	1-5
2.	**ANNEXURE-A** photograph of the DFO during inspection	6
3.	**ANNEXURE-B** Copy of the reply	7-16
4.	**ANNEXURE-C** copy of the photographs /google earth image	17-22

Dated: 06.04.2026

Filed by:

Adv Anjali Rajput.

(Amicus Curie)

Chamber: 136, M.C.Setalvad

Block Supreme court of India,

Delhi 110001

Mobile No. 9811777368

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI

IN

OA NO 407/2025

IN THE MATTER OF:

MAHENDRA SINGH ...APPLICANT

VERUS

STATE OF HARYANA & ORS. ..RESPONDENTS

REJOINDER ON BEHALF OF THE APPLICANT TO THE OBJECTIONS FILED BY RESPONDENT NO. 5

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present rejoinder to the reply is being filed by the applicant to the objections filed on behalf of respondent no 5. It is pertinent to mention that the applicant was called to the office of the counsel and the contents of this rejoinder were explained to him in the vernacular language as understood by him. That a copy of the translated Hindi version was also given to the applicant for his convenience.
2. It is submitted that the applicant is a responsible citizen has raised environmental concerns.
3. It is respectfully submitted that respondent no 5 has failed to address the environmental issued raised by the applicant and has attempted to shift the focus by making irrelevant and defamatory allegations concerning personal life of the applicant. That family issues are wholly unconnected with the present case.
4. That it is submitted herein that there is no plausible reason or motive for the applicant to initiate proceedings against the sarpanch when it is the case of respondent no 5 that they have amicably settled the family matter of the respondent. It is also pertinent to point out that

any matter relating to personal life of the applicant, if at all arose in year 2023 which was long before the present application was filed, which reflects clear efforts to divert the issue in hand.

5. It is submitted herein that the applicant has initially filed a complaint dated 28.1.2025 before the SDM, Kadama, Haryana upon which he formed a committee and directed inspection to check allegations of the applicant. Copy of the complaint dated 28.01.2025 and action taken by the SDM dated 30.01.2025 is already placed on record with application. However, the SDM was transferred within 3-4 days. That thereafter no action was taken by the authorities despite multiple reminders. That the responses obtained through RTI's and appeals clearly indicates that no investigation was conducted and the case was deliberately stalled. Copy of the replies of the RTI and appeals are already annexed with the application.
6. It is submitted that the respondent has wrongly portrayed that the applicant failed to show any illegally cut tree from the alleged area. It is submitted that the applicant was called by the officer from forest department on 25.02.2025, and was specifically shown the trees illegally cut however the officer has deliberately failed to file a fair report in this regard. It is also submitted that thereafter the applicant was never called for any inspection by forest authorities. That the photograph of the DFO during inspection is annexed herewith as **Annexure A.**
7. That left with no other recourse the applicant was compelled to file present application for which the applicant was subjected to threats and intimidation. It is important to point out that reply dated 22.12.2025 was obtained in the second appeal and the report dated 30.10.2025 of inspection conducted upon complaint dated

30.01.2025 was provided. That this inspection report dated 30.10.2025 clearly indicates that it was deliberately delayed to suppress the matter, as it was conducted much after filing of present application. Copy of the reply is annexed herewith as **Annexure B.**

8. It is submitted that the applicant has filed present application seeking Bonafide relief, that any suggestion of personal rivalry are baseless and unsubstantiated. That the applicant requests the application be considered on merits.
9. . It is submitted that the applicant has submitted photographs with the original application depicting the illegal acts committed by the respondents. The geotagged photographs/videos taken by the applicant, clearly show that the area has been damaged. It is submitted herein that the google earth images taken from the coordinates, clearly shows that degradation has occurred in the alleged area. That the copy of the photographs /google earth image are annexed herewith as **Annexure C** and the same are also are annexed in pen drive.
10. It is submitted that the photographs shown in the j int inspection are of selective locations, leaving large portions unchecked. That the photographs annexed with the application clearly shows that the sand beneath the trees have been removed, and the marks of the machine used are clearly visible.
11. It is vehemently denied that the applicant has ever made any monetary demand from respondent no 5. On the contrary, the applicant has been offered considerable amounts to take back this application. It is also submitted that the forest officer who conducted the purported site inspection and submitted report is the resident of

same village. That the report prepared by the officer having social ties with respondent cannot be treated as independent.

12. It is respectfully submitted that applicant advocates any genuine plantation, however the recent plantation done by respondent no 5 do not in any manner absolve issue of illegal tree cutting and excavation done previously.

13. That it is humbly submitted that the prayer of the respondent no 5 may be rejected as being misleading and frivolous, and it is requested that appropriate actions may be taken against the respondents for environmental violations.

Applicant

Mahender Singh S/o Sh. Jile Singh
R/o Kadma, Charki Dadri Haryama.
No: 9992475408

Dated: 06.04.2025

Filed by:

Adv Anjali Rajput.
(Amicus Curie)
Chamber: 136, M.C.Setalvad
Block Supreme court of India,
Delhi 110001
9811777368

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI

IN

OA NO 407/2025

IN THE MATTER OF:

MAHENDRA SINGH ...APPLICANT

VERUS

STATE OF HARYANA & ORS. ..RESPONDENTS

Affidavit

I, Mahender Singh aged about 50 yrs S/o Sh. Jile Singh R/o Kadma, Charki Dadri Haryana, presently at New Delhi, do hereby Solemnly Affirm and declare as under:-

1. That I am the applicant in the present Original Application in the above captioned matter and I am well conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear this affidavit.
2. That the accompanying rejoinder to the objections of the objections filed by the respondent no 5 has been drafted by my counsel, under my instructions and the contents of the same have been understood by me in same vernacular and I admit the same as true and correct.
3. That the contents of the accompanying rejoinder may kindly be read as part and parcel of this affidavit as the same are not being repeated herein for the sake of brevity.

IDENTIFIED

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at New Delhi on this 06 APR 2026 day of April, 2026 that the contents of the present affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

NOTARY PUBLIC K. BANDANA Delhi Regn. No. 19718 Date of Expiry 26.02.2030 Govt. of India

EMPOWERED TO ADMINISTER THE OATH
SECTION 139 OF CPC 1908
SECTION 297 OF CRPC 1973
DELHI HIGH COURT RULES 1967
PART-6, CHAPTER XVIII-227
EVIDENCE BY AFFIDAVIT BEFORE NOTAR
SUPREME COURT RULES, 2013
ORDER-X-7

32/19

ATTESTED
NOTARY PUBLIC DELHI
Govt. of India

Type text here

ANNEXURE A

Annexure B

प्रेषक,

राज्य जन सूचना अधिकारी –कम–
उपमण्डल अधिकारी(ना0), बाढड़ा।

सेवा में,

श्री महेन्द्र पुत्र जले सिंह,
गाँव कादमा, तहसील [redacted], जिला चरखी दादरी।

क्रमांक 479 /आर0टी0आई0 दिनांक 22-12-2025

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना प्रदान करने बारे।

विषयाधीन मामले में आपके आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 28.11.2025 जो इस कार्यालय में दिनांक 02.12.2025 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा मांगी गई सूचना साथ संलग्न करके आपको आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

सलग्नः–उक्त।

राज्य जन सूचना अधिकारी –कम–
उपमण्डल अधिकारी(ना0), बाढड़ा।

जांच रिपोर्ट

दिनांक :– 30.10.2025

विषय:– 1. पंचायत जमीन (जोहड़) के पेडो के नीचे से मिट्टी सरपंच के द्वारा उठाने बाबत

2. गांव कादमा में पहाड़ से पत्थर खुदवाकर गैर कानूनी बाबत

प्रार्थी महेन्द्र सिंह पुत्र जले सिंह सकना कादमा तहसील बाढड़ा जिला चरखी दादरी के द्वारा इस कार्यालय में दो शिकायते दी गई। पहले शिकायत में बताया है कि गांव कादमा में हालिया सरपंच चांदपति देवी के द्वारा पहाड को अवैध तरीके से खनन माफिया के साथ मिलकर उक्त पहाड़ को खुदावकर बेचा जा रहा है और सरकार को नुकासान पहुचा रहे है और हालिया सरपंच के द्वारा उक्त पहाड को ऊट गाडियों और ट्रैक्टर के द्वारा गऊशाला रोड से पत्थरों को ले जाया जाता है और उक्त पहाड अरावली में नही दिया गया है। दुसरी शिकायत मे बताया है कि मेरे गोव कादमा में सरपंच चांदपति देवी के द्वारा जोहड के पेडो के नीचे की मिट्टी गैर कानूनी तरीके से उठवायी जा रही है और जिससे मिट्टी के उठाने से पेडो का हानि व क्षति पहुचती है और पर्यावरण को नुकसान होता है और जिन पेडो के नीचे से मिट्टी ऊट गाडियों से उठायी जाती है उनको बिना किसी कारण के काटकर हालिया सरपंच के द्वारा उनका विक्रय किया जा रहा है यह कदम मानवता के साथ--2 पर्यावरण को भ्झी हानि पहुँचाता है और बिना किसी विभाग के सुचित किये बिना गैर कानूनी तरीके से जोहड के पेडो को मिट्टी को उठाकर पेडो को काटकर अपनी जेबो को भर रहे है जिसकी विडियो सबुत के तौर पर मेरे पास है। प्रार्थी के द्वारा निवेदन किया है कि उक्त मामले को संज्ञान मे लेकर सख्त कार्यवाही की जाये।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उक्त दोनो शिकायतो पर कार्यवाही करते हुए, शिकायत के सबंध में आगामी कार्यवाही करते हुए सभी सम्बन्धित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जांच में शामिल होने के निर्देशित किया गया। जांच के दौरान शिकायतकर्ता श्री महेन्द्र सिह पुत्र जले सिंह वासी कादमा श्री एस0ई0पी0ओ0 खण्ड झोझू कलां, तथा सरपच श्रीमती चांदपति देवी ग्राम पंचायत कादमा अपने अपने ब्यान दर्ज करवाए।

शिकायतकर्ता श्री महेन्द्र पुत्र जले सिंह वासी कादमा द्वारा अपने ब्यान मे बताया कि जोहड की मिटटी व पेडों की विडियो दिखाई व मिटटी 4–5 फुट जमीन से पेडो के निचे से उठाई गई है। पेड गिराये जाते है और सरपंच श्रीमती चांदपती द्वारा बेचा जा रहा है। पहाड मे पत्थरों को बारूड द्वारा पत्थरो को निकाला जा रहा है व बेचा जा रहा है। अतः मुं निवेदन किया है कि निष्पक्ष ढंग से जाच की जाये।

श्रीमती चान्दपति सरपंच ग्राम पंचायत कादमा ने अपने ब्यान में बताया है कि कोई पहाड का खनन नहीं किया गया और न ही जोहड के साथ मिट्टी उठावाई। इस बारे में ग्राम पंचायत द्वारा समय--समय पर गांव में बुनियादी करवाई तथा गांव के प्रति जुर्माना व सरकारी की विभाग कानूनी कारड्वाई बारे मुनियादी करवाई है। अत बताया है कि की गई शिकायत झुठी है।

ग्राम सचिव श्री श्याम सुन्दर ने अपने ब्यान में बताया कि इससे पहले मेरे संज्ञान मे ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राजेश कुमार एस.ई.पी.ओ. ने अपने ब्यान में बताया कि गाव कादमा से पत्थर खुदवाकर गैर कानूनी बाबत व पंचायती जमीन (जोहड़) के पेडो के नीचे मिटटी उठाने बाबत जो शिकायत मुझे

Attested
AFPIO
Badhra

Adhish

पुत्र जले सिंह निवासी कादमा द्वारा दी गई है। उस संबंध में अवगत कराना चाहता हूँ कि इससे पूर्व गांव की पंचायती भूमि से मिट्टी उठाने व पहाड़ से पत्थर खुदवाकर बेचने बारे खण्ड कार्यालय में गांव कादमा की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी के ब्यानों के आधार पर उक्त शिकायतो की जांच के लिए पत्र क्रमांक 2352–54/स्टैनों दिनांक 31.01.2025 के द्वारा उपमण्डल अधिकारी (प.रा.) झोझू की अध्यक्षता मे कमेटी गठन किया गया, जिसमें खनन अधिकारी, चरखी दादरी, व समाज एवं शिक्षा अधिकारी, झोझू कलां शामिल है। कमेटी द्वारा दिनांक 30.09.2025 मौका निरीक्षण किया गया। कमेटी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30.09.2025 को महेन्द्र पुत्र जिले सिंह निवासी कादमा द्वारा उपमण्डल अधिकारी (ना0), बाढड़ा के सम्मुख दी गई शिकायत पंचायती भूमि(जोहड़) के पेडो को नीचे से सरपंच द्वारा मिट्टी उठाने व पहाड से पत्थर खुदवाने बारे दी गई थी। पंचायती भूमि से मिट्टी उठान बारे ग्रामवासियों ने अवगत करवाया कि उक्त नाला सन 1995 मे खोदा गया था जिसमें पेड व झाड़ उगे हुए। उक्त मिट्टी सरपंच के कार्यकाल से कई वर्ष पूर्व उठी हुई है। पेडों की संख्या बारे ग्राम वासियों द्वारा अवगत करवाया गया कि जो पेड गीरे हुए है वह आंधी झंखड से गिरे हुए है। मौके पर कादमा मे पहाड से पत्थर खुदवा बारे कोई साक्ष्य नहीं पए गए ना ही ग्रामवासियों द्वारा मौके शिकायत मे लगाए गये आरोपों की पुष्टी की।

जांच से संबंधित दस्तावेजों व फाईल पर उपलब्ध ब्यानों का अवलोकन करने तथा सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनने और अधोहस्ताक्षरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की शिकायतों मे कोई बल नहीं पाया गया व ना ही शिकायतकर्ता श्री महेन्द्र पुत्र जले सिंह सरपंच श्रीमती चांदपति देवी के खिलाफ कोई ठोस सबुत/साक्ष्य पेश कर पाया कि श्रीमती चांदपति देवी सरपंच ग्राम पंचायत कादमा दोषी है। शिकायत को दफ्तर दाखिल किया जाता है।

Ashish

उपमण्डल अधिकारी(ना0),
बाढड़ा।

पृ0क्रमांक 2804 /स्टैनों दिनांक 06-11-2025

इसकी एक प्रति महेन्द्र सिह पुत्र जले सिंह वासी कादमा तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी मो॰ 9992475408 को सुचनार्थ प्रेषित है।

Ashish

उपमण्डल अधिकारी(ना0),
बाढड़ा।

Attested
AS PIO
Badhra
17/11/25

मौका मुआयना रिपोर्ट दिनांक 30.9.2025

आज दिनांक 30.9.2025 को महेन्द्र पुत्र जिले सिंह निवासी कादमा द्वारा उपमण्डल अधिकारी (ना०) बाढड़ा के सम्मुख दी गई शिकायत पंचायती जमीन (जोहड़) में पेड़ों के नीचे से सरपंच द्वारा मिट्टी उठाने व पहाड़ से पत्थर खुदवाने बारे दी गई थी। पंचायती भूमि से मिट्टी उठान बारे ग्रामवासियों ने अवगत कराया कि उक्त नाला सन् 1995 में खोदा गया था। जिसमें पेड़ व झाड़ उगे हुए। उक्त मिट्टी सरपंच के कार्यकाल से कई वर्ष पूर्व उठी हुई है। पेड़ों की संख्या बारे ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि जो पेड़ गिरे हुए हैं वह आंधी अंधड़ के कारण गिरे हुए हैं। मौके पर कादमा में पहाड़ से पत्थर खुदवाने बारे कोई साक्ष्य नहीं पाए गए ना ही ग्रामवासियों द्वारा मौके शिकायत में लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि करी। [signature]

1. श्री प्रदीप, SDO (PR) Jhojhu, अध्यक्ष — [signature]
2. श्री कोमल कुमार, Mining ~~Inspector~~, Ch. Dadri [signature]
3. श्री सतीश कुमार, SEPO, Jhojhu — Sd/ 30.9.2025
4. Surendra Singh 9671527901
5. Indrajit 8930529005
6. रामेश्वर 9813616202, 8930573809
7. [illegible] 9818186465
8. [signature] 9813824244
9. [signature]
10. [illegible] 9813399880
11. [signature] 9306423404
12. Balram – 8607618000
13. [signature] 9818188893920
14. Sandeep 9812482754
15. राजकुमार [illegible] 9813466839
16. सतीश कुमार चौकीदार 9050093668
17. [illegible] [illegible]
18. Amit 98131402[illegible]
19. दीपसिंह 905073[illegible]
20. [illegible] 9671[illegible]
21. महेश कुमार - 9971[illegible]

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत
कादमा (च० दादरी)

Attested
[signature]
ASPIO
Badhra
17/11/25

सेवा में,

उपमण्डल अधिकारी (ना०)
बाढ़ड़ा

श्रीमान जी,

श्रीमान जी सरपंच चांदपति द्वारा कोई पहाड़ का खनन नही किया गया और न ही जोहड़ के साथ मिट्टी उठवाई। इस बारे में ग्राम पंचायत द्वारा समय समय पर गाँव में मुनियादी करवाई तथा गाँव को प्रति जुर्माना व सरकारी की विभाग कानूनी कारवाई गाँव के जोहड़ में से मिट्टी न उठाने बारे कई बार मुनियादी करवाई हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि जो शिकायत की गई है वह झूठी शिकायत हैं।

Chand Pati

चान्द पति सरपंच
ग्राम पंचायत काद.

31/1/25

Attested
ADPIO
Badhra
17/1/25

बयान

ग्राम सचिव - II

श्यामसुन्दर रांगा

सेवा में

उपमण्डल अधिकारी (ना०)

बाढड़ा

श्रीमान जी,

मैं श्यामसुन्दर रांगा ग्राम सचिव - II मेरी ड्यूटी ग्राम पंचायत कादमा में लगाई गई थी इसमें एक शिकायत मिली जो कि पहाड़ व पंचायत भूमि से उखाड़ी गई। इस समस्या का इससे पहले मेरे संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मैं ग्राम पंचायत में पिछले दिनों से गया नहीं हूं क्योंकि मेरी ड्यूटी अभी कुछ दिन पहले ही लगाई गई थी।

Rangaa

G.S - II

GRAM SACHIV - II

ब्लाक बाढड़ा

[signature] 31/1/25

Attested

[signature]

A.P.I.O

Badhra

17/1/25

बयान

दिनांक 31.01.2025

राजेश कुमार, SEPO, खण्ड झोझू

उपमण्डल अधिकारी (ना०) बाढड़ा के कार्यालय के पत्र क्र० 2346-48/स्टैनो दिनांक 30.01.2025 की अनुपालना में दिनांक 31.01.2025 को उपमण्डल अधिकारी (ना०) बाढड़ा के कार्यालय में दोपहर 1:00 बजे हाजिर आया। गांव कादमा में पहाड़ से पत्थर खुदवाकर गैर कानूनी बाबत व पंचायती जमीन (जोहड़) के पेड़ों के नीचे मिट्टी उठाने बाबत जो शिकायत महेन्द्र पुत्र जले सिंह निवासी द्वारा दी गई है। उस संबंध में अवगत कराना चाहता हूँ कि इससे पूर्व गांव की पंचायती जमीन से मिट्टी उठाने व पहाड़ से पत्थर खुदवाकर बेचने बारे खण्ड कार्यालय में गांव कादमा की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

ह० 31.01.2025
राजेश कुमार,
SEPO, खण्ड झोझू।

[signature] 31/1/25

Attested
[signature]
ASPIO
Badhra
17/1/25

सेवा में,

उपमण्डल अधिकारी साहब,
बाढ़डा

निवेदन यह है कि मैं महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह
गांव आदमा तह बाढ़डा जिला चरखी दादरी का स्थाई
निवासी हूँ, मैं अपनी शिकायत पर आज दिनांक
31, 01, 025 को S.D.M. साहब बाढ़डा के सम्मुख
पेश हुआ और जो कि मिट्टी व पेड़ों कि वीडियो
दिखाई गई है जो मीटी 4,5 फुट जमीन से पेड़ों के
नीचे से उठवाई जाती है व पेड़ गिराये जाते हैं
व सरपंच पति द्वारा कब्जा जा रहा है व
पहाड़ में पत्थरों के [illegible] द्वारा पत्थरों को निकाला
जा रहा है व बेचा जा रहा है
अतः आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप
निष्पक्ष रूप से जांच कि जाए.

धन्यवाद

दिनांक 31/01/025

Mob. No 9992475408

महेन्द्र सिंह
महेन्द्र पुत्र हिम्मत सिंह
आदमा तह बाढ़डा

31/1/25

Attested
AsDio
Badhra
17/1/25

उपमण्डल अधिकारी (ना0),
बाढ़ड़ा (चरखी दादरी)।

1 खनन अधिकारी च0 दादरी।
2 उपमण्डल अधिकारी (PR), झोझू।
3 समाज एवं शिक्षा अधिकारी, झोझू।

क्रमांक 2312-54 /स्टैनों दिनांक 31/01/25

विषयः– 1. पंचायती जमीन (जोहड़) के पेड़ों के नीचे से मिट्टी सरपंच के द्वारा उठाने बावत।

2. गांव कादमा में पहाड़ से पत्थर खुदवाकर गैरकानूनी बावत।

उपरोक्त विषय के सदंर्भ में महेन्द्र सिंह पुत्र जले सिंह गांव कादमा मो0 न0 9992475408 ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में शिकायत दी। जिसकी जांच करने बारे 31.01.2025 को सभी संबंधित को कार्यालय में 31.01.2025 को 01 बजे बुलाया गया और बयान लिये गये व शिकायतकर्ता ने एक विडियों फोन में दिखाई जिसमें बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी उठान व पेड़ उखड़े हुए दिखाई दिये है अतः आप तीनों की उपमंण्डल अधिकारी (PR), झोझ. की अध्यक्षता में कमैटी बनाई जाती है कि आप दोनों शिकायतों के संदर्भ में मौका रिपोर्ट बनाकर जिसमें मिट्टी उठान की अनुमानित मात्रा व लागत पेड़ों की संख्या व लागत के नुकसान की रिपोर्ट बनाकर एक सप्ताह के अन्दर--अन्दर रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय मे जमा करवाना सुनिश्चित करें ताकि शिकायत पर आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके। कमेटी अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। देरी व लापरवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगें।

उपमण्डल अधिकारी (ना0),
बाढड़ा, (चरखी दादरी)

Attested
APIO
Badhra
17/12/25

उपमण्डल अधिकारी (ना0),
बाढडा।

1. एस0ई0पी0ओ0, खण्ड झोझू कलां।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत कादमा, तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी।
(मार्फत, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बाढडा।)
3. शिकायतकर्ता, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री जले सिंह गाव कादमा, तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी।

क्रमांक 2346-48 **/स्टैनो** **दिनांक** 30/01/2025

विषयः— **गांव कादमा में पहाड से पत्थर खुदवाकर गैर कानूनी बाबत व पंचायत जमीन (जोहड) के पेडो के नीचे से मिट्टी सरपंच के द्वारा उठाने बाबत प्रार्थना पत्र।**

उपरोक्त विषय बारे आपको भेजकर लिखा जाता है कि आज दिनांक 30.01.2025 को अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख श्री महेन्द्र सिंह पुत्र जले सिंह गांव कादमा तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी उपस्थित होकर दो शिकायत प्रस्तुत (प्रति सलंग्न) कि है। जिसके सन्दर्भ में आप सभी दिनांक 31.01.2025 को दोपहर 01:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख दस्तावेज/रिकार्ड सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे। किसी भी प्रकार की देरी व लापरवाही के लिए आप स्वंय जिम्मेवार होगे।

संलग्नः—शिकायत पत्र की प्रति।

उपमण्डल अधिकारी (ना0),
बाढडा।

Attested
ASDIO
Badhra
17/12/25

Annexure C

Illegal sand Excavation resulting in damage to trees.

The entire area of the Panchayat land, including the johad

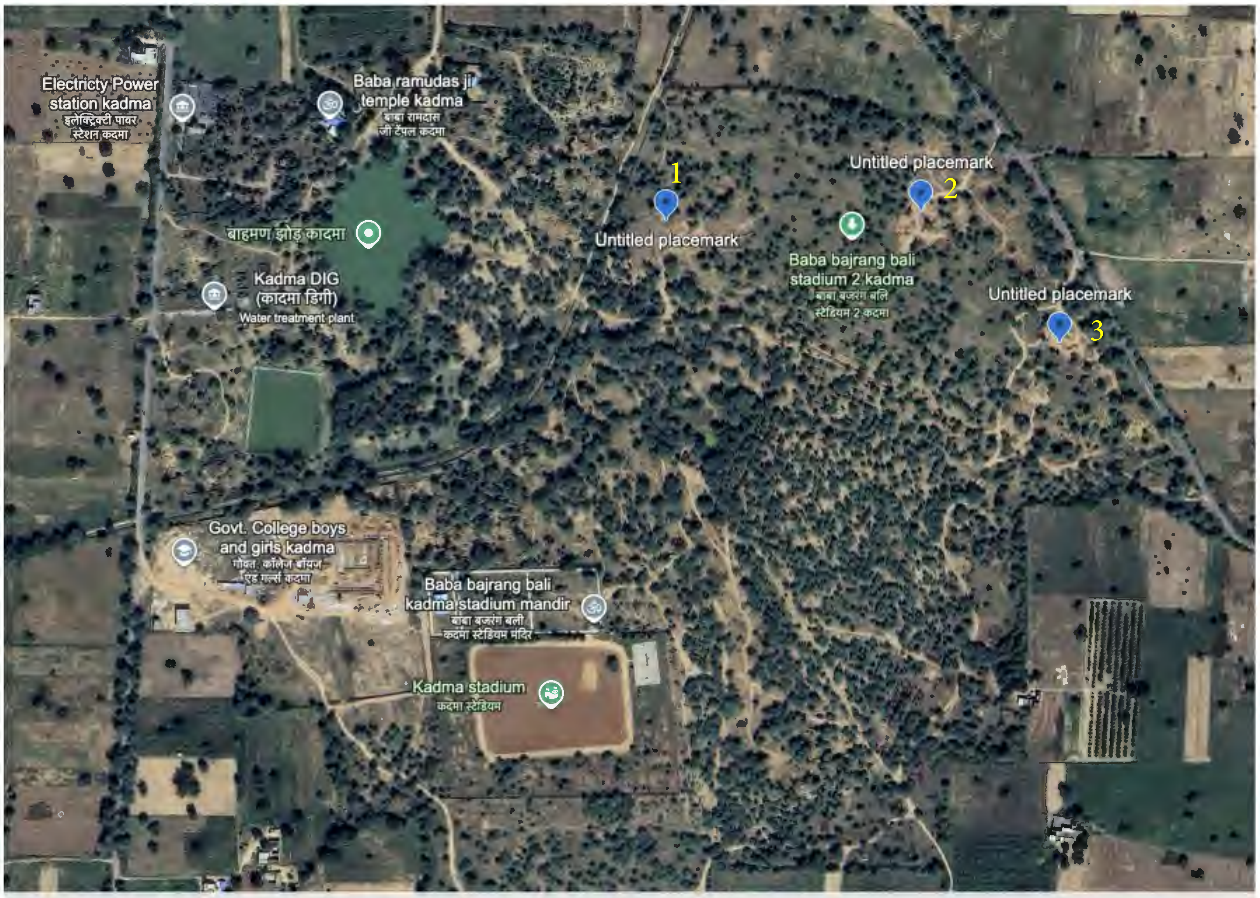

Point 1

Point 2

Point 3

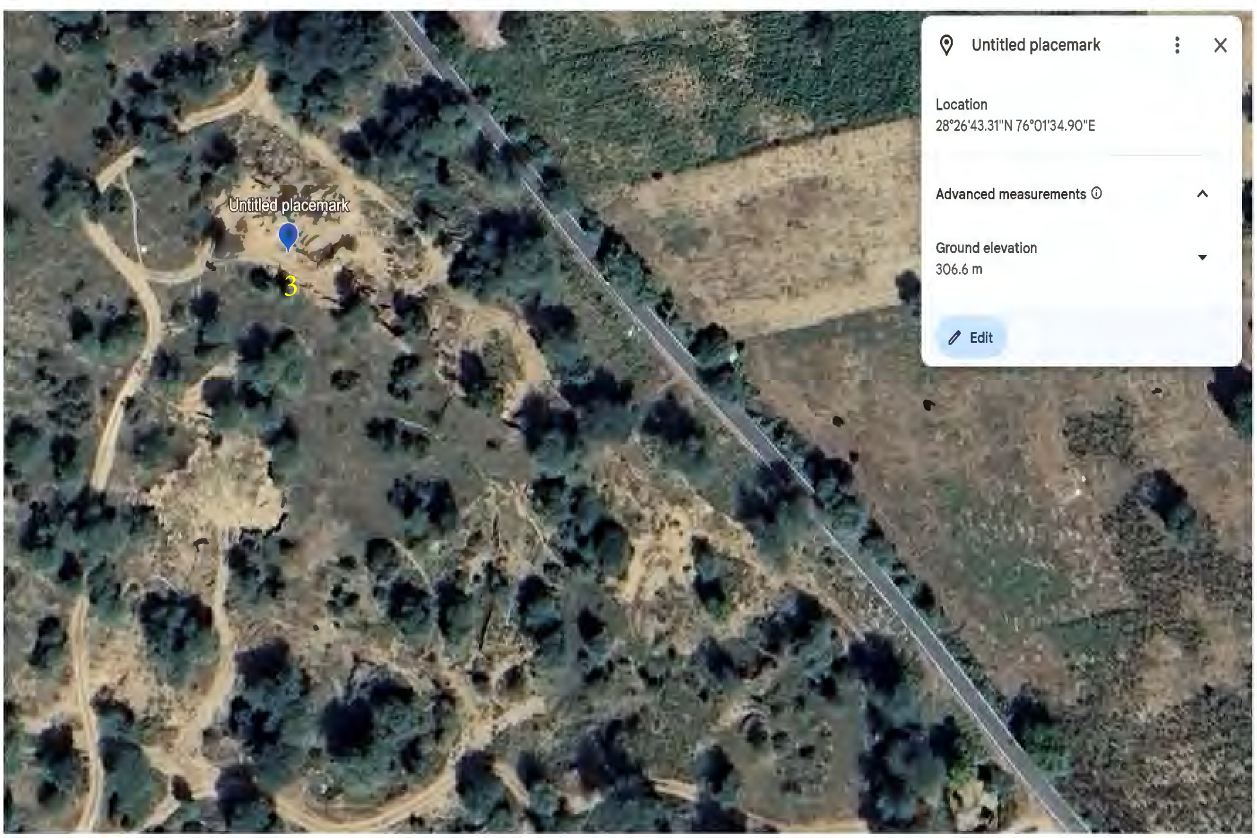

Heavy Vehicle Tyre Marks
GPS Map Camera
Unn, Haryana, India
C3j3+cr6, Unn, Haryana 127312, India
Lat 28.433148° Long 76.056246°
Sunday, 16/11/2025 08:27:39 AM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Unn, Haryana, India
C3j3+cr6, Unn, Haryana 127312, India
Lat 28.433082° Long 76.056279°
Sunday, 16/11/2025 08:27:50 AM GMT +05:30
Google

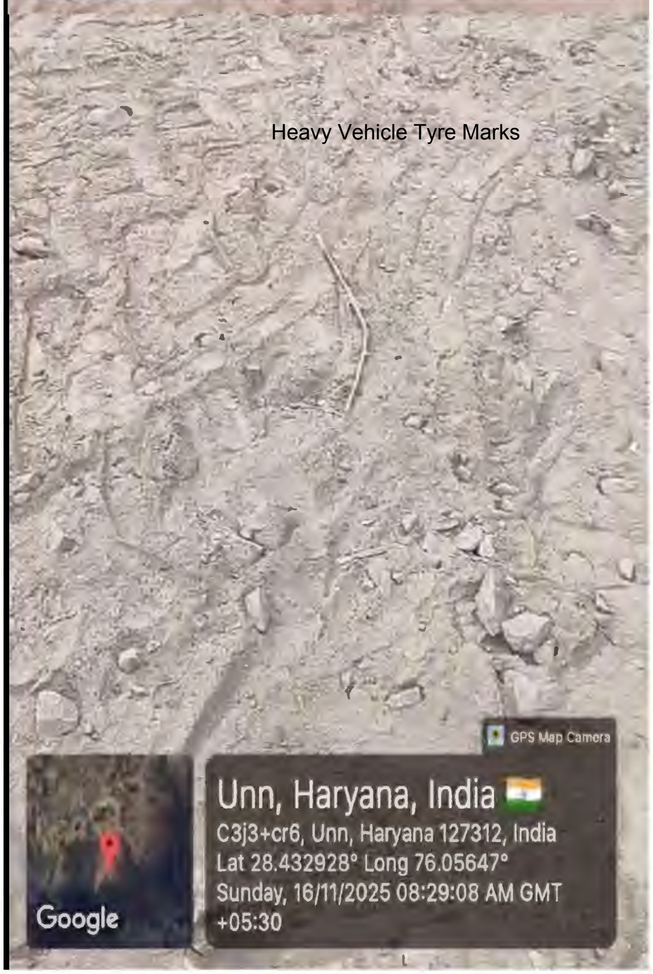
Heavy Vehicle Tyre Marks
GPS Map Camera
Unn, Haryana, India
C3j3+cr6, Unn, Haryana 127312, India
Lat 28.432928° Long 76.05647°
Sunday, 16/11/2025 08:29:08 AM GMT +05:30
Google

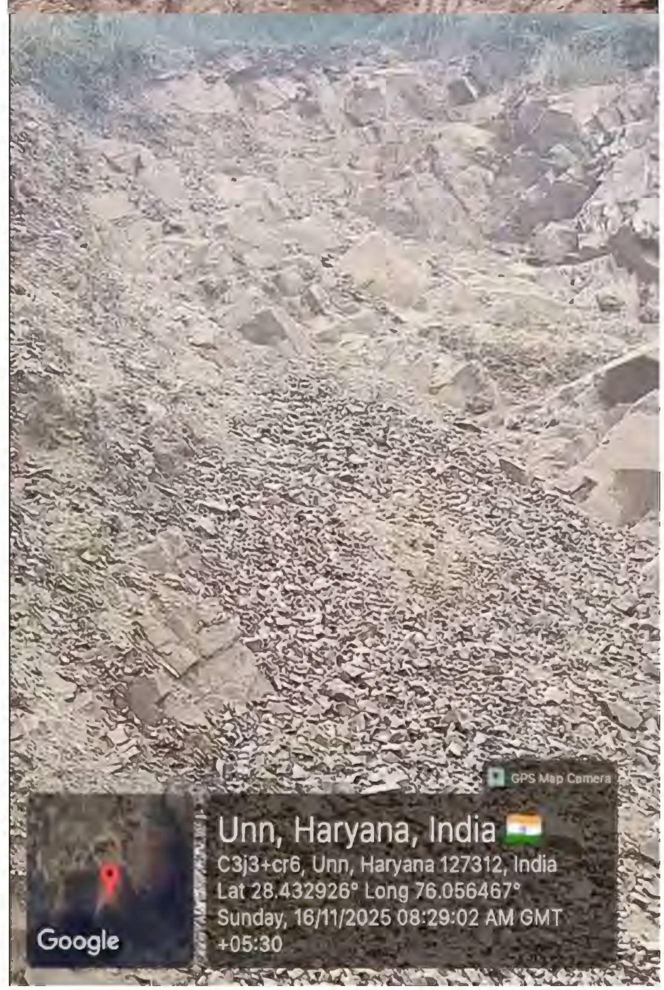
GPS Map Camera
Unn, Haryana, India
C3j3+cr6, Unn, Haryana 127312, India
Lat 28.432926° Long 76.056467°
Sunday, 16/11/2025 08:29:02 AM GMT +05:30
Google

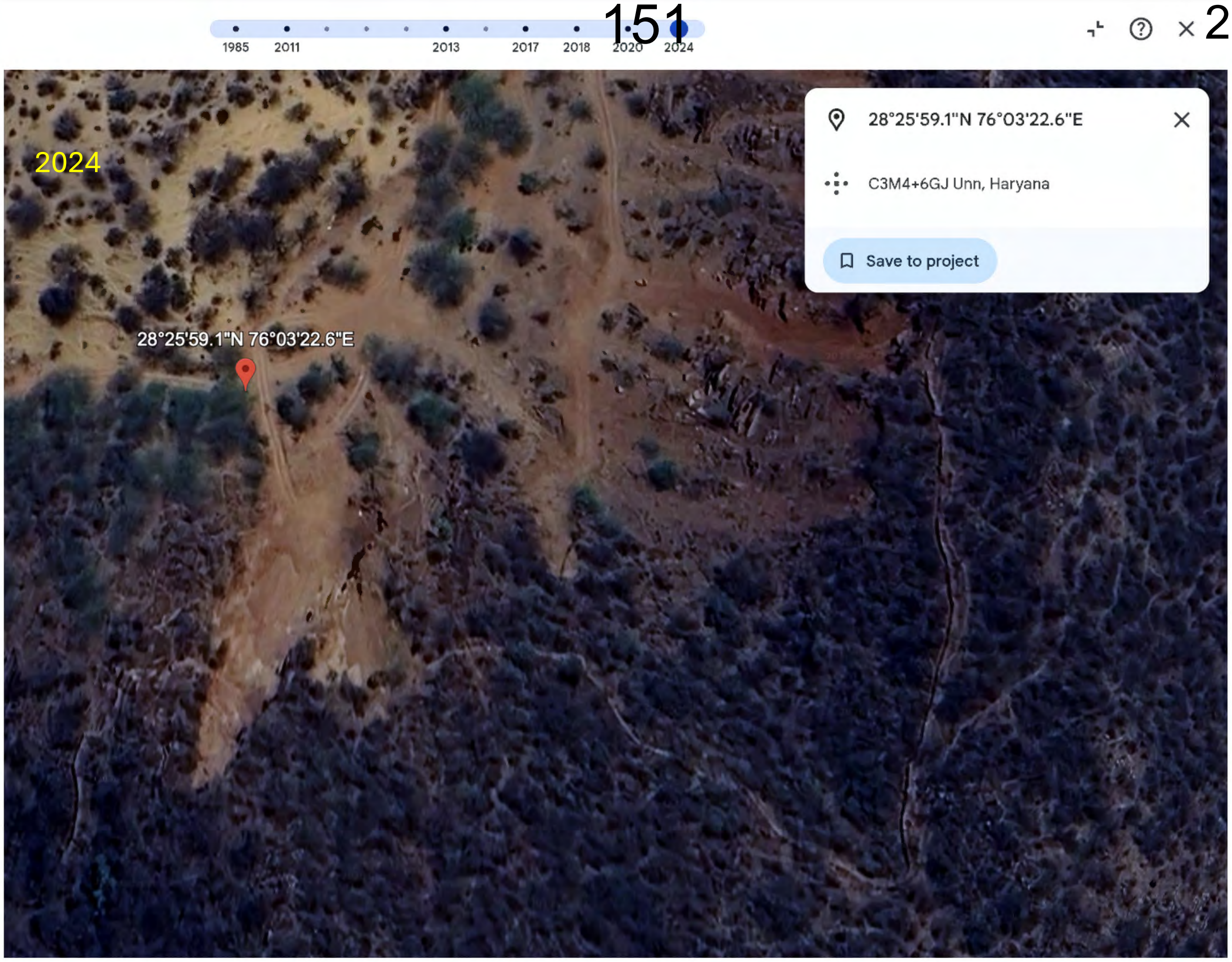
1985
2011
2013
2017
2018
2020
2024
2024
28°25'59.1"N 76°03'22.6"E
C3M4+6GJ Unn, Haryana
Save to project
28°25'59.1"N 76°03'22.6"E

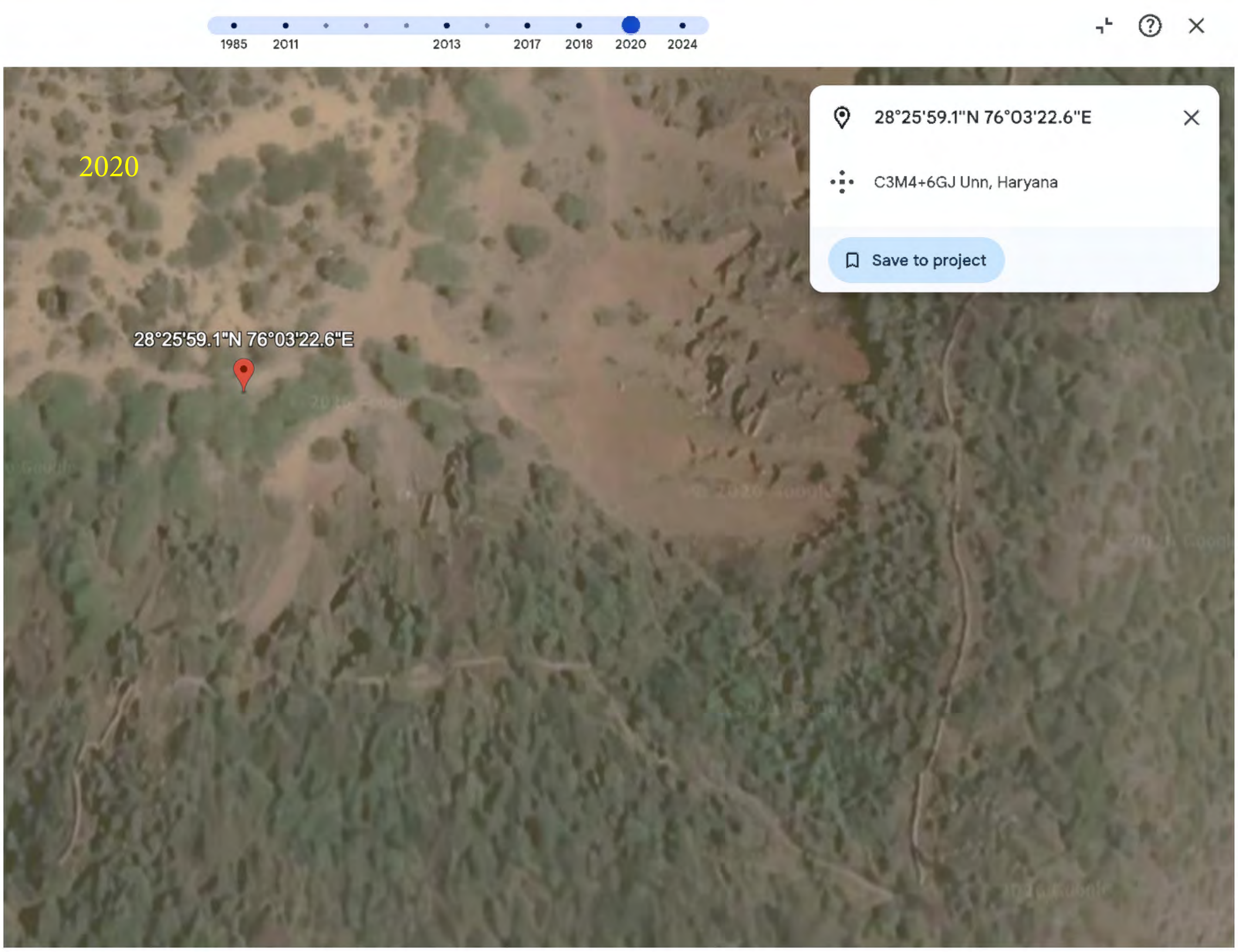
1985
2011
2013
2017
2018
2020
2024
2020
28°25'59.1"N 76°03'22.6"E
C3M4+6GJ Unn, Haryana
Save to project
28°25'59.1"N 76°03'22.6"E